

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली, (चमोली)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में रागस्त नामभूमिधर जिनकी भूमि विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2019 के फरवरी महीने की 22 तारीख को निम्नादित किया गया है।

- 1 — यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निम्नादित करेगी।
- 2 — यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि उक्त परियोजना के निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा, तथा नाम भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3 — यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

अधिशासी अभियन्ता

नाम भूमि धर

हस्ताक्षर

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

थराली, (चमोली)

अभि
लो0 ख0 लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)

RAMESHWARI
REVENUE SUB INSPECTOR
DISTRICT - CHAMOLI

① श्रीरंगसिंह S/o दिवानसिंह

② गौतमधनप्रसाद S/o सुरेशानन्द

③ इश्वर सिंह S/o लालसिंह

④ दीनपाल सिंह S/o आलमसिंह

⑤ फतेहसिंह S/o प्रेम सिंह

⑥ राजेन्द्रसिंह S/o प्रेमसिंह

⑦ जलमसिंह S/o भवानसिंह

⑧ जयवीर सिंह S/o कुन्दन सिंह

⑨ उमा देवी S/o कुंवर सिंह

⑩ भूपाल सिंह S/o शिव सिंह

⑪ गोपाल सिंह S/o साधों सिंह

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली, (चमोली)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि विकास खण्ड नारायणबगड के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2019 के फरवरी महीने की 22/2/19 तारीख को निष्पादित किया गया है।

1 - यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।

2 - यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि उक्त परियोजना के निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा, तथा नाप भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।

3 - यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, (चमोली)

नाम भूमि धर

हस्ताक्षर

दशोन सिंह
राजपाल सिंह
अजय सिंह
दलवीर सिंह
अजय सिंह
दलवीर सिंह
भूपाल सिंह
दलवीर सिंह
दशोन सिंह
दशोन सिंह
सोहन सिंह
राजेश सिंह
जशवंत सिंह

अ. ज. श्री. २८
21/2/19

अ. ज. श्री. २८
२८

अ. ज. श्री. २८
२८

RAJESH VARI
REVENUE SUB INSPECTOR
TOWN
DISTRICT- CHAMOLI

लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली, (चमोली)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि विकास खण्ड नारायणगढ़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2019 के फरवरी महीने की 22 तारीख को निम्नादित किया गया है।

- 1 - यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निम्नादित करेगी।
- 2 - यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि उक्त परियोजना के निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा, तथा नाप भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3 - यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, (चमोली)

नाम भूमि धर

हस्ताक्षर

अमान
लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)

RAJESHWARI
REVENUE SUB INSPECTOR
TEH.....
DISTRICT- CHAMOLI

विजय सिंह
दवाजी सिंह
रजनीत सिंह
दलवीर सिंह
गजपाल सिंह
दशरथ सिंह
अवलार सिंह
नरेश सिंह
हरेन्द्र सिंह
दलवीर सिंह
रजनीत सिंह
गौर सिंह

यशपाल सिंह
रूप सिंह
दवाजी सिंह
रजनीत सिंह
अवलार सिंह
नरेश सिंह
हरेन्द्र सिंह
दलवीर सिंह
रजनीत सिंह
गौर सिंह

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली, (चमोली)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2019 के मार्च महीने की 22 तारीख को निष्पादित किया गया है।

- 1 - यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2 - यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि उक्त परियोजना के निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा, तथा नाप भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3 - यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, (चमोली)

नाम भूमि धर

हस्ताक्षर

रामप्रसाद

रामेश्वरप्रसाद

नन्दराम

प्रदीपप्रसाद

ललितप्रसाद

ओमप्रकाश

राजेश्वरप्रसाद

गोवर्धनप्रसाद

महेशानन्द

रमेश चन्द

ओमप्रकाश

सुनीलप्रसाद

राकेश चन्द

अनिलप्रसाद

रामप्रसाद

रामेश्वरप्रसाद

नन्दराम

Pradeep

Lalit

Omprakash

Rajeshwar

Gowardhan

Maheshanand

Ramesh Chand

Omprakash

Sunil

Rakesh Chand

Anil

RAJESHWARI
REVENUE SUB INSPECTOR
TH.
DISTRICT- CHAMOLI

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली, (चमोली)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

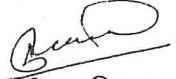
आज वर्ष २०१९ के ~~मार्च~~ महीने की २२ तारीख को निष्पादित किया गया है।

1 - यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।

2 - यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि उक्त परियोजना के निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा, तथा नाप भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।

3 - यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, (चमोली)

नाम भूमि धर

हस्ताक्षर

विरदेष्टा

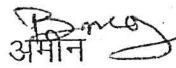
अधोदया प्रसाद

जगदीश १९१६


सहायक अभियन्ता


RAMESHWAR
REVENUE SUB INSPECTOR
TEH.....
DISTRICT- CHAMOLI


कनिष्ठ अभियन्ता


अमीन